15 जून, 2021 से संशोधित भारत के राजपत्र, भाग- III खण्ड IV, असाधारण तथा साप्ताहिक में अधिसूचना के प्रकाशन हेतु दिशानिर्देश

भारत के राजपत्र भाग-III, खण्ड-IV साप्ताहिक तथा असाधारण में विज्ञापन/अधिसूचना को प्रकाशित करने के लिए वैधानिक निकायों द्वारा जारी विविध अधिसूचनाओं, आदेशों, विज्ञापन और सूचनाओं के प्रकाशन से पूर्व कुछ निम्नलिखित औपचारिकताओं का अनुपालन करना अनिवार्य है।

(1) संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक अनुरोध पत्र अग्रेषित किया जाना चाहिए जिसके साथ मुद्रण सामग्री को सत्यापित एवं रबर स्टाम्प युक्त शीर्ष पत्र पर कुल पृष्ठों की संख्या के साथ हिंदी तथा अंग्रेजी के पृष्ठों की संख्या का उल्लेख किया जाना चाहिए। मुद्रण के मामले/सामग्री में किसी भी पृष्ठ के गुम होने की स्थिति में संबंधित विभाग या प्राधिकरण पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।

नोट:- कृपया सह-पत्र/कवरिंग लेटर के साथ-साथ मुद्रण मामले/सामग्री के पहले पृष्ठ पर नीचे दी गई पंक्ति का उल्लेख करें।

अंग्रेजी में :- " To be published in Extra ordinary Part-III, Section-IV"

or

(Weekly or Ordnary) Part-III, Section-IV

हिंदी में :- "असाधारण भाग-III,खण्ड-IV में प्रकाशन हेतु"

अथवा

(साप्ताहिक या साधारण) भाग-III, खण्ड-IV

(2) मुद्रण सामग्री को ए4 आकार के सादे कागज पर हिंदी के (कृति देव के फॉन्ट साइज़ 12 या मंगल के फॉन्ट साइज़ 10 में टंकण/टाइप) दो मूल सेट तथा अंग्रेजी के (न्यू टाइम्स रोमन के फॉन्ट साइज़ 10 में टंकण/टाइप) दो मूल सेट एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा सभी पृष्ट रबर स्टाम्प्ड तथा पेन से सत्यापित होना अनिवार्य है। मुद्रण सामग्री का अंग्रेजी तथा हिंदी दोनों प्रति पृष्ठों को गिनती के साथ अलग-अलग होना चाहिए । कृपया अधिसूचना के प्रकाशन मामले/सामग्री के हिंदी तथा अंग्रेजी के पहले पन्नों पर अधिसूचना संख्या और तारीख (अंग्रेजी और हिंदी में) का उल्लेख होना चाहिए ।
(नोट:- हिंदी तथा अंग्रेजी के मामले को ए4 शीट पर अलग-अलग टंकण/टाइप होना चाहिए। किसी भी फोटोकॉपी या स्कैन की गई प्रतियों पर विचार नहीं किया जाएगा । पृष्ट का आकार ए4 जिसकी चौड़ाई 21.2 सें. मी.x 29.7 सें. मी.लंबाई एवं मामले/सामग्री का आकार 17 सें. मी.x 24 सें. मी. तथा उपर एवं नीचे का हाशिया/मार्जिन 3 सें. मी. तथा दाएँ एवं बाएँ का हाशिया/मार्जिन 2 सें. मी. होना चाहिए)।

(3) मुद्रण सामग्री को भारत के राजपत्र भाग- III, खण्ड-IV में प्रकाशित करने हेतु, प्रकाशन नियंत्रक द्वारा दिनांक 03 जून, 2016 के कार्यालय ज्ञापन संख्या O-17034/6/2016/PSP-II के अनुसार प्रकाशन विभाग को वैधानिक/सांविधिक निकायों, सार्वजनिक उपक्रमों की मुद्रण सामग्री को राजपत्र में प्रकाशन के लिए संबन्धित संगठन के सक्षम प्राधिकारी जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव के पद से नीचे के न हो या संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा विधिवत अधिकृत एक अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता हो के द्वारा विधिवत सत्यापित एक अग्रेषण पत्र की आवश्यकता होती है। संबंधित मंत्रालय के संयुक्त सचिव द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संबंधित अधिकारी को भारत के राजपत्र में अधिसूचना के लिए अधिकृत किया गया हो ।

(4) भारत के राजपत्र भाग- III खण्ड- IV में मुद्रण मामले को प्रकाशित करने से पहले अग्रिम राशि भुगतान करना अनिवार्य है। मुख्य लेखा कार्यालय,आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के दिनांक 01/10/2018 के कार्यालय ज्ञापन संख्या G-20018/Pr.Ao/UD/A/Cs/NTRP/2018-19/1489-1504 के अनुसरण से विभाग द्वारा जारी दिनांक 04/10/2018 के आदेश संख्या Cash/NTRP/2018-19 के अनुसार यह राशि केवल एनटीआरपी के माध्यम से (यानी गैर रसीद पोर्टल www.bharatkosh.gov.in) पर जमा करना होगा। डाक/हाथ से भेजे जाने पर भुगतान की रसीद अधिसूचना के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
(नोट:- संबन्धित पार्टी के भुगतान का पता लगाने के लिए संगठन के नाम का उल्लेख अवश्य करें)(नमूना प्रति नीचे संलग्न है)।
(नोट:- भाग-III खंड-IV का अग्रिम भुगतान/अग्रिम बिल पार्टी द्वारा प्राप्त हार्ड कॉपी के आधार पर किया जाता है, न कि ई-गजट वेबसाइट पर प्रकाशित मामले के अनुसार क्योंकि यह मामला प्रेस के विचाराधीन है कि वे मामले को कैसे व्यवस्थित करता है और फिर इसे आधिकारिक वेबसाइट पर कैसे अपलोड करता है)।

मुद्रण शुल्क की गणना:- असाधारण और साप्ताहिक भाग-III, खण्ड-IV दोनों के लिए, दर प्रति पृष्ठ 2000/- रुपये है। दिनांक 14/06/2021 के कार्यालय आदेश संख्या 761/ओ एंड एम/2021-22 के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण और साप्ताहिक भाग-III, खण्ड-IV में प्रकाशन की दरों में संशोधन किया गया है। दिनांक 15/06/2021 (15 जून, 2021) से संशोधित दर पहले की दर 5500/- रुपये प्रति पृष्ठ के स्थान पर 2000/- रुपये प्रति पृष्ठ है। मुद्रण के लिए विभाग में जमा किए गए मुद्रण सामग्री के सभी पृष्ठ को पूर्ण पृष्ठ के रूप में माना जाएगा ।

(5) **सॉफ्ट कॉपी:-** कृपया मुद्रण मामले की एक सॉफ्ट कॉपी केवल एम.एस वर्ड फॉर्मेट विंडो 7 में सीडी या पेनड्राइव में मुद्रण हेतु उपलब्ध कराएं (सॉफ्ट कॉपी में कोई पीडीएफ, जेपीईजी, जेपीजी स्वीकार्य नहीं हैं)

(6) **सी. डी. प्रमाण-पत्र :-** - कृपया सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित और मुद्रांकित (मोहर युक्त) शीर्ष पत्र के साथ एक पत्र भेजें, जिसमें कहा गया हो कि सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी की विषय सूची समरूप/समान है।

(7) संगठन/संस्था की ई-मेल आईडी और संपर्क नंबर अनिवार्य है।

(8) विभाग में जमा किए दस्तावेज किसी भी परिस्थिति में न तो मूल और न ही इसकी फोटो प्रति वापस किए जाएंगे ।

(9) हमारे विभाग के कार्यालय मैनुअल निर्देश के अनुसार राजपत्र अधिसूचना भाग-III खण्ड-IV से संबंधित दस्तावेज़/कागजात के संरक्षण की अधिकतम अवधि दो वर्ष के लिए है, उसके बाद सक्षम प्राधिकारी के किसी भी आगे के आदेश के बिना ही दस्तावेज़/कागजात स्वतः रूप से नष्ट हो जाते हैं।ताकि नये रेकॉर्ड को स्टोर किया जा सके।

(10) भारत के राजपत्र के प्रकाशक होने के नाते प्रकाशन नियंत्रक के पास यह अधिकार है कि वह प्रकाशन के लिए प्राप्त किसी भी अधूरी/अस्पष्ट/गैरकानूनी/भ्रामक मुद्रण सामग्री को अस्वीकार कर सकता है।

(11) एन. टी. आर. पी. हेतु निम्नलिखित चरण का अनुपालन करें।

एन. टी. आर. पी. विवरण :-

चरण 1 :- www.bharatkosh.gov.in पर जाएँ

चरण 2 :- नान रैजिस्टर्ड यूजर(Non Registered User) का चयन करें।

चरण 3 :- यह चरण निम्नलिखित चार प्रकार के हैं।

(i) भुगतान हेतु (ii) जमाकर्ता का विवरण (iii) सूचना की पुष्टि (iv) भुगतान

चरण 4 :- भुगतान हेतु

जमाकर्ता का श्रेणी :- आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (मंत्रालय के विकल्प के अनुसार)

उद्देश्य :- पृष्ठ के अंत में पृष्ट संख्या 1,2,3,4,5 उल्लेखित होते हैं

पृष्ठ संख्या 4 का चयन करें : राजपत्र की बिक्री (पी.ए.ओ. मुद्रण,नई दिल्ली)

प्रकार्यात्मक मद :- 005800102000000. राजपत्र की बिक्री इत्यादि

भुगतान एवं लेखा कार्यालय (पी.ए.ओ.):- 042709- भुगतान एवं लेखा कार्यालय (पी.टी.जी.)

आहरण और संवितरण कार्यालय (डी. डी. ओ.) :- 242722- प्रकाशन नियंत्रक (9वीं पंक्ति)

राशि :- आई एन आर –

आवृति/अवधि भुगतान :-

टिप्पणी :- राजपत्र प्रकाशन शुल्क, नाम परिवर्तन,किताब की बिक्री इत्यादि। आगे

चरण 5 :- नाम :-
पता :-
मोबाइल :-
ई-मेल :-

ऑनलाइन भुगतान	एन. टी. आर. पी./आर.टी.जी. एस.

पुष्टि

चरण :- 6

भुगतान :-

भुगतान प्रणाली/साधन :-

नेटबैंकिंग/डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड द्वारा भुगतान

रसीद प्राप्त/उत्पन्न करना

(प्रकाशन से संबन्धित मामले के साथ रसीद संलग्न करें)

(12) एन. ई. एफ. टी. विवरण :-

भुगतान केवल नान टैक्स रिसीप्ट्स पोर्टल (Non Tax Receipts Portal, NTRP) से किया जाना चाहिए। किसी अन्य मद के द्वारा भुगतान स्वीकार्य नहीं होगा, यदि एन. टी. आर. पी. द्वारा भुगतान में कोई मुद्दा/बाधा उत्पन्न होती है तो इसे एन. ई. एफ. टी. (**NEFT**) के माध्यम से भुगतान किया जा सकता है।

एन. ई. एफ. टी. विवरण निम्नलिखित है।

(1)	बिक्रेता का नाम व पता	:- नियंत्रक प्रकाशन,प्रकाशन विभाग, सिविल लाइन्स, दिल्ली-54.
(2)	खाता धारक का नाम	:- नियंत्रक प्रकाशन
(3)	खाता संख्या	:- 011103000005524
(4)	बैंक का नाम	:- आई. डी. बी. आई. बैंक, नई दिल्ली
(5)	शाखा का नाम	:- के. जी. मार्ग, नई दिल्ली
(6)	शाखा कोड	:- 000011
(7)	आई. एफ.एस. सी. कोड	:- आईबीकेएल 0000011
(8)	एम. आई.सी.आर.कोड	:- 110259001
(9)	टेलीफोन	:- 011-23357800
(10)	टेन (TAN)	:- DELC08277D

नोट:- संबन्धित पार्टी के भुगतान का पता लगाने के लिए संगठन के नाम का उल्लेख अवश्य करें।

प्रकाशन नियंत्रक